

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक: 163 / स्था0

दिनांक 07 अप्रैल, 2022

:: आदेश ::

मैं हरेन्द्र सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों के तहत इस न्यायक्षेत्र के कोटपूतली, शाहपुरा एवं सांभरलेक मुख्यालय पर अवस्थित अपर सेशन न्यायाधीशों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 एवं 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु निम्न प्रकार अधिकृत करता हूँ :-

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	पुलिस थाने का नाम
शाहपुरा मुख्यालय		
01	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, शाहपुरा, जिला जयपुर	शाहपुरा भाबरू विराटनगर
02	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-02, शाहपुरा, जिला जयपुर	मनोहरपुर अमरसर
कोटपूतली मुख्यालय		
01	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, कोटपूतली, जिला जयपुर	कोटपूतली
02	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-02, कोटपूतली, जिला जयपुर	पनियाला
03	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-03, कोटपूतली, जिला जयपुर	प्रागपुरा
04	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-04, कोटपूतली, जिला जयपुर	सरुण्ड
सांभरलेक मुख्यालय		
01	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, सांभरलेक, जिला जयपुर	सांभरलेक फुलेरा नरेना (साली चौकी क्षेत्र के अलावा)
02	अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-02, सांभरलेक, जिला जयपुर	किशनगढ-रेनवाल जोबनेर

उपरोक्त मुख्यालयों पर जमानत आवेदन अन्तर्गत 438/439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रथमतः अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, शाहपुरा/कोटपूतली/सांभरलेक (यथा संबंधित) के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगे, तत्समय ही उक्त न्यायालयों द्वारा उपरोक्त तालिका में अधिकृत न्यायालय को सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु पक्षकारान को सूचित कर अंतरित किये जावेगे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2363+2364
क्रमांक: ----- / स्था0

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला-जयपुर
दिनांक 07 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

01. संबंधित न्यायालय.....।
02. अध्यक्ष/सचिव संबंधित बार एसोसिएशन.....।
03. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला-जयपुर